ऑपरेशन मेघ चक्र

प्रलिमि्स के लयि:

मेघ चक्र, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, प्रोटेक्शन ऑफ चलि्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेज़ एक्ट 2012 (पॉक्सो-अधनियिम)।

मेन्स के लयि:

बाल यौन शोषण से संबंधति मुद्दे और नविारक उपाय / पहल।

चर्चा में क्यों?

एक ऑपरेशन जसिका कोड-नाम "**मेघ चक्र**" है, **न्यूज़ीलैंड के अधकिारयिों से प्राप्त जानकारी के आधार पर इंटरपोल की सगिापुर वशिेष इकाई से प्राप्त जानकारी के बाद चलाया जा** रहा है।

- यह **बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के प्रसार और उसे साझा करने के खलिाफ** केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) **द्वारा संचालति एक अखलि भारतीय अभयिान है।**

ऑपरेशन मेघ चक्र के प्रमुख बदिु:

- 20 राज्यों और एक केंद्रशासति प्रदेश में 59 स्थानों पर तलाशी ली गई।
- यह आरोप लगाया गया है कि **बड़ी संख्या में भारतीय नागरकि क्लाउड-आधारति भंडारण का उपयोग करके बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के ऑनलाइन संचलन , डाउनलोडगि और प्रसारण में शामलि** थे।
- इस ऑपरेशन का **उद्देश्य भारत में वभिन्नि कानून प्रवर्तन एजेंसयिों से जानकारी एकत्र करना,** वैश्वकि स्तर पर संबंधति कानून प्रवर्तन एजेंसयिों के साथ जुड़ना और इस मुद्दे पर इंटरपोल चैनलों के माध्यम से नकिटता से समन्वय करना है।
- **जाँच में 500 से अधकि समूहों की पहचान की गई थी, जनिमें 5000 से अधकि अपराधी और लगभग 100 देशों के नागरकि भी शामलि थे।**
- **नवंबर 2021 में CBI द्वारा "ऑपरेशन कार्बन" नामक ऐसे ही एक अभ्यास कोड** का संचालन कयिा गया था।

बाल यौन शोषण से जुड़े मुद्दे:

- **बहुस्तरीय समस्या:** बाल यौन शोषण एक **बहुस्तरीय समस्या है जो बच्चों की शारीरकि सुरक्षा, मानसकि स्वास्थ्य,** कल्याण और व्यवहार संबंधी पहलुओं को नकारात्मक रूप से प्रभावति करती है।
- डजिटिल प्रौद्योगकियिों के कारण प्रवर्धन: मोबाइल और डजिटिल प्रौद्योगकियिों ने बाल शोषण एवं दुर्व्यवहार को और बढ़ा दयिा है। ऑनलाइन शरारत, उत्पीड़न तथा चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे बाल शोषण के नए रूप भी सामने आए हैं।
- **अप्रभावी कानून:** हालाँकि भारत सरकार ने यौन अपराधों के खलिाफ बच्चों का संरक्षण अधनियिम 2012 (POCSO अधनियिम) बनाया है, लेकनि यह बच्चों को यौन शोषण से बचाने में वफिल रही है। इसके नम्निलखिति कारण हो सकते हैं:
  - **कम सज़ा दर: वगित 5 वर्षों के औसत को देखें तो लंबति मामलों की संख्या 90% है, इस प्रकार POCSO अधनियिम के तहत दोषसद्धि की दर केवल 32% है।**
  - **न्यायकि वलिंब:** कठुआ बलात्कार मामले में मुख्य आरोपी को दोषी ठहराने में 16 महीने लग गए, जबकि पॉक्सो अधनियिम में स्पष्ट रूप से उल्लेख कयिा गया है कि पूरी सुनवाई और दोषसद्धि की प्रक्रयिा एक साल में पूरी की जानी है।
  - **बच्चे के लयि प्रतकिूल**: बच्चे की आयु-नर्धिारण से संबंधति चुनौतयिाँ। वशिेष रूप से ऐसे कानून जो जैवकि उम्र पर ध्यान केंद्रति करते हैं, न कि मानसकि उम्र पर।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधनियिम, 2012:

- यह बच्चों के हतिों की रक्षा और भलाई के लयि **बच्चों को यौन उत्पीड़न, दुर्व्यावहार एवं अश्लील साहत्यि के अपराधों** से बचाने के लयि

अधिनियमित किया गया था।

- यह **अठारह वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता** है और बच्चे के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये हर स्तर पर बच्चे के सर्वोत्तम हित तथा कल्याण को सर्वोपरि मानता है।
- यह **यौन शोषण के विभिन्न रूपों को परिभाषित** करता है, जिसमें भेदक और गैर-मर्मज्ञ हमले, साथ ही यौन उत्पीड़न एवं अश्लील साहित्य शामिल हैं।
- ऐसा लगता है कि कुछ परिस्थितियों में **यौन आक्रमण बढ़ गए** हैं, जैसे कि जब दुर्व्यवहार का सामना करने वाला बच्चा **मानसिक रूप से बीमार** होता है अथवा जब दुर्व्यवहार **परिवार के किसी सदस्य, पुलिस अधिकारी, शिक्षक या डॉक्टर** जैसे विश्वसनीय लोगों द्वारा किया जाता है।
- यह जाँच प्रक्रिया के दौरान पुलिस को **बाल संरक्षक की भूमिका** भी प्रदान करता है।
- अधिनियम में कहा गया है कि **बाल यौन शोषण के मामले का निपटारा अपराध की रिपोर्ट की तारीख से एक वर्ष के भीतर** किया जाना चाहिये।
- अगस्त 2019 में **बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिये मृत्यु दंड सहित कठोर सज़ा देने** के लिये इसमें संशोधन किया गया था।

संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान प्रत्येक बच्चे को **सम्मान के साथ जीने का अधिकार (अनुच्छेद 21), व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21), निजता का अधिकार (अनुच्छेद 21), समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), भेदभाव (अनुच्छेद 15)** और **शोषण के विरुद्ध (अनुच्छेद 23 व 24) अधिकार** की गारंटी प्रदान करता है।
    - 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये **निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार** (अनुच्छेद 21 A)।
- राज्य के **नीति निदेशक सिद्धांतों** और विशेष रूप से **अनुच्छेद 39 (F)** यह सुनिश्चित करने के लिये राज्य पर एक दायित्व आरोपित करता है कि बच्चों को समग्र तरीके से स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण स्थिति में विकसित होने के अवसर एवं सुविधाएँ प्रदान की जाएँ तथा बचपन व युवावस्था में शोषण तथा नैतिक एवं भौतिक परित्याग के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाए।

संबंधित पहलें:

- बाल शोषण रोकथाम एवं जाँच इकाई
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- किशोर न्याय अधिनियम/देखभाल और संरक्षण अधिनियम, 2000
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (2006)
- बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम, 2016

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs):

भारत के संविधान में शोषण के खिलाफ अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? (2017)

1. मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध
2. अस्पृश्यता का उन्मूलन
3. अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा
4. कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन पर रोक

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- **संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) के तहत अनुच्छेद 23 और 24 शोषण** के खिलाफ अधिकार से संबंधित हैं।
- अनुच्छेद 23 में मानव के **अवैध व्यापार और बलात् श्रम पर रोक** लगाने का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि **मानव तस्करी एवं बेगार तथा इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम निषिद्ध** हैं, इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। **अत: कथन 1 सही है।**
- **अनुच्छेद 24** में **कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर रोक लगाने का प्रावधान** है। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिये या किसी अन्य खतरनाक रोज़गार में नहीं लगाया जाएगा। **अत: कथन 4 सही है।**

अतः विकल्प (c) सही है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/megh-chakra-operation